न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–11, जयपुर महानगर–प्रथम, मुख्यालय सांगानेर

पीठासीन अधिकारी	:	पुरवा चतुर्वेदी, आर0जे0एस0 जिला न्यायाधीश संवर्ग
फौज0 अपील संख्या	:	22 / 2024
सीआईएस नं0	:	80 / 2024

कन्हैयालाल लक्षकार पुत्र श्री नवरतनमल लक्षकार, आयु 51 वर्ष, जाति लखेरा, निवासी 30 राजनगर सांगानेर, थाना मुहाना, जिला जयपुर, राजस्थान।

........अपीलार्थी / अप्रार्थी

<u>बनाम</u>

1. माया लखेरा पुत्री स्व0 श्री कजोडमल लखेरा, उम्र 48 वर्ष, जाति लखेरा, निवासिनी फ्लेट नं0 एस–3 द्वितीय तल पर मकान प्लॉट नं0 61, 62 अखिल नगर, जवाहर सर्किल के पास जगतपुरा, जयपुर राजस्थान व कार्यरत मशीन ऑपरेटर नं0 8561 नेशनल इंजिनियरिंग इन्डस्ट्रीज एन बी सी हसनपुरा, जयपुर, राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक।

.....रेस्पोडेन्ट / परिवादिया

अपील अन्तर्गत धारा–29 घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, विरूद्व आदेश दिनांक 30.03.2024 न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम–18, जयपुर महानगर प्रथम, मुख्यालय सांगानेर, प्रकरण संख्या 79 / 2018, उनवानी श्रीमती माया लखेरा बनाम कन्हैयालाल.
पीठासीन अधिकारी सुश्री / श्रीमती नेहा कुमावत, आर0जे0एस0

<u>उपस्थितिः–</u>
1. श्री अतुल दीक्षित, हेमा कश्यप अधिवक्तागण वास्ते अपीलार्थी / अप्रार्थी।
2. श्री महावीर सुरेन्द्र जैन अधिवक्ता वास्ते परिवादिया।

:: <u>निर्णय</u> :: **दिनांक : 29.06.2026**

1. प्रकरण के अपीलार्थी / अप्रार्थी की ओर से यह अपील विद्वान अधीनस्थ न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम–18, जयपुर महानगर प्रथम, मुख्यालय सांगानेर के भरण पोषण आदेश दिनांक 30.03.2024 के विरूद्व इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज की गई।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादिया / प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी

के विरुद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष एक परिवाद दिनांक 06.06.2011 को अंतर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अधीन प्रस्तुत किया था। अपीलार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात दोनों पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व तथ्यों पर बहस सुनने के उपरान्त दिनांक 23.05.2012 को अन्तरिम भरण पोषण का आदेश पारित किया, जिसकी पालना अपीलार्थी द्वारा की जा रही है। दोनों पक्षों की साक्ष्य के उपरान्त विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी का प्रार्थनापत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलार्थी को घरेलू हिंसा कारित नहीं करने और धारा 19 व 22 के अधीन भरण पोषण व प्रतिकर के आदेश पारित किये, जिसके विरुद्ध वर्तमान अपील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का कोई उल्लेख नहीं किया और ना ही उनके विवेचन से मार्गदर्शन प्राप्त कर आदेश पारित किया है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रजनीश बनाम नेहा के शपथ पत्र के सम्बन्ध में कोई प्रतिपरीक्षा करने का अवसर अपीलार्थी को प्रदान नहीं किया गया। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी की पुत्री विचारण के दौरान वयस्क हो चुकी है और वयस्क पुत्री के लिए भरण पोषण अदा करने का अपीलार्थी का कोई दायित्व नहीं है। प्रत्यर्थी ने अपने शपथपत्र के साथ आय के दस्तावेज और आयकर सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत नहीं किया है और भरण पोषण सम्बन्धी आदेश विचारण न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण तरीके से पारित किया है। अपीलार्थी को विवाह विच्छेद के बाद हुए अपने द्वितीय विवाह की पत्नी एवं संतानों का भी भरण पोषण करना है और विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को नितान्त अनदेखा करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय ने प्रदर्श डी0 13, 14 व 15 के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष अपने आदेश में वर्णित नहीं किया है और दोनों पक्षों के बीच विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की जा चुकी है जो कि अंतिम आदेश पारित होने से पूर्व ही दिनांक 07.02.2015 को पारित हुई है। प्रदर्श डी0 12 के माध्यम से विक्रय किया गया मकान प्रत्यर्थी की सहमति से ही विक्रय किया गया था जिसके विक्रय पर अब प्रत्यर्थी को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रत्यर्थी ने सम्पूर्ण परिवाद में कहीं भी घरेलू हिंसा कारित करने के समय, वर्ष या घटना का उल्लेख नहीं किया है और ना ही इस तथ्य से इंकार किया है कि अपीलार्थी ने उसके भरण पोषण में कोई अनियमितता की हो। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विवाह विच्छेद याचिका के विरोध स्वरूप प्रतिशोध की भावना से प्रत्यर्थी ने मूल परिवाद विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और अपीलार्थी के विरुद्ध झूंठी रिपोर्ट दर्ज करवाई। घरेलू हिंसा के सम्बन्ध में संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट घरेलू हिंसा के

लिए एक निश्चायक साक्ष्य नहीं है और विचारण न्यायालय ने मात्र उस रिपोर्ट के आधार पर ही प्रकरण में घरेलू हिंसा कारित होना प्रमाणित माना है जो कि एक अवैध निष्कर्ष है। मूल परिवाद में प्रत्यर्थी के पुत्री पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं थी और न्यायालय ने अपने आदेश में स्वयं में पुत्री के सम्बन्ध में भरण पोषण का आदेश पारित किया है जो कि किसी भी रूप में उचित नहीं है। प्रत्यर्थी स्वयं नियोजित होकर अपनी जीविका अर्जित कर रही है और प्रत्यर्थी की पुत्री वयस्क हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के विरुद्ध भरण पोषण का कोई भी आदेश विद्य मान नहीं रह सकता है। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के पक्ष को पूर्ण रूप से अनदेखा करते हुए एकतरफा मनःस्थिति से आदेश पारित किया है जिसके लिए प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना आवश्यक है और इसीलिए उक्त आधारों पर प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर विचारण न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

3. प्रत्यर्थी को तलब किया गया और दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

4. बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत कर उसके तथ्यों को दोहराते हुए मौखिक रूप से तर्क दिये कि मूल प्रकरण में प्रत्यर्थी की पुत्री प्रार्थी या पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं थी इसलिए वह किसी भी रूप में अपीलार्थी से भरण पोषण प्राप्त नहीं कर सकती है और वर्तमान में भी पुत्री वयस्क हो चुकी है तो उसका भरण पोषण का अधिकार समाप्त हो चुका है। मूल परिवाद अंतर्गत धारा 12 से पूर्व अपीलार्थी ने विवाह विच्छेद याचिका प्रस्तुत कर दी थी और प्रदर्श 05 विक्रय पत्र के उपरान्त ही प्रतिशोधात्मक भावना से यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है। आपराधिक प्रकरण में प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के विरुद्ध कोई नाराजगी याचिका या अन्य विधिक कार्यवाही प्रत्यर्थी ने अंगीकृत नहीं की और वर्ष 1998 से लेकर वर्ष 2011 तक विभिन्न आपराधिक कार्यवाहियां प्रत्यर्थी ने झूंठे तरीके से दर्ज करवाई हैं। जिस समय की घरेलू हिंसा का तथ्य परिवाद में वर्णित किया गया है ऐसी कोई घटना उस स्थिति पर कारित नहीं हुई और ना ही मोटरसाईकिल एक्सीडेंट के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज या घरेलू हिंसा का कोई प्रमाण प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। परिवाद प्रस्तुत किये जाने तक मकान विक्रय किया जा चुका था और प्रत्यर्थी ने उक्त मकान की बिक्री की सहमति अपीलार्थी को दी थी। प्रत्यर्थी स्वयं अपना भरण पोषण करने में सक्षम है क्योंकि वह स्वयं एक कम्पनी में कार्यरत है। प्रत्यर्थी ने अपनी आय को स्पष्ट करने के लिए कोई आयकर विवरण इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये है और प्रत्यर्थी के आय शपथपत्र एवं वेतन पर्ची में

भिन्नता है। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि से भरण पोषण अदा किये जाने के आदेश दिये है परन्तु तत्समय अपीलार्थी की आय 17,000/—रूपये थी जिसके आधार पर वह भुगतान करने में सक्षम नहीं था तथापि विचारण न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय को अनदेखा करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया है । विचारण न्यायालय ने संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट मात्र के आधार पर ही घरेलू हिंसा को प्रमाणित मानते हुए आदेश पारित किया है जो कि एक विधिक प्रक्रिया नहीं है क्योंकि प्रत्यर्थी/परिवादी को घरेलू हिंसा अपनी साक्ष्य से प्रमाणित करनी थी। प्रदर्श 02 परिवाद के विपरीत है और प्रदर्श 3 अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है। पत्रावली पर हिंसा की कोई साक्ष्य नहीं है और ना ही किसी साक्षी ने घरेलू हिंसा कारित किये जाने का समर्थन किया है। संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट में कोई निष्कर्ष नहीं है और संरक्षण अधिकारी को परीक्षित किए बिना ऐसी रिपोर्ट साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। सम्पूर्ण पत्रावली से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि किस प्रकार की घ रेलू हिंसा प्रत्यर्थी/परिवादी के साथ कारित की गई और ना ही परिवादी ने बच्चों को परिवाद में पक्षकार के रूप में संयोजित किया है। प्रत्यर्थी ने रजनीश बनाम नेहा के सन्दर्भ में जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया है वह झूंठा शपथ पत्र है जिसके आधार पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जानी चाहिए। ऋण लिए जाने के सम्बन्ध में तथा मकान की ईएमआई चुकाने के लिए कोई भी दस्तावेज प्रत्यर्थी ने प्रस्तुत नहीं किये है और इस प्रकार सम्पूर्ण पत्रावली एवं साक्ष्य किसी भी रूप में प्रत्यर्थी के साथ घरेलू हिंसा कारित होना सिद्ध नहीं कर पा रही है और इसीलिए जब घरेलू हिंसा प्रमाणित नहीं हो सकी है तो विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी आदेश विधिक रूप से पोषणीय नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का आदेश अपास्त किया जावे। अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित सम्माननीय न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गयेः—

(1)—एण्टोनियो डे मेटोस सिक्योरा अल्मेदिया बनाम फेलीसिडेडे विलमा अल्मेदिया 2018 एस सी सी ऑनलाईन बॉम्बे 1123 दिनांक 04.06.2018

(2)— श्री राजेन्द्र डी सेठ बनाम रेखा झा उर्फ रेखा आर सेठ (2016) आल एम आर (क्राईम्स) 1506

(3)—गिरीश कुमार एन बनाम रजनी के वी व अन्य साईटेशन 2023 लाईव लॉ (के ईआर) 46 केरला उच्च न्यायालय 220091

(4)— एस0बी0 क्रिमिनल रिवीजन संख्या 131/2017 दिनांक 11.04.2018 मदनलाल बनाम पुष्पा देवी व अन्य पेज नम्बर 1400 राज0 हाईकोर्ट

(5)— एननुरसंगलूर सनाटे बनाम डी0एफ इमेलिन लालरिंगजुएल व अन्य 18 जुलाई 2022 देहली

उच्च न्यायालय

(6)– दिनेश कुमार व अन्य बनाम श्रीमती शोभा चौहान 27 सितम्बर 2018 राजस्थान उच्च न्यायालय

(7)– पदम्जा शर्मा बनाम रतन लाल शर्मा एआईआर 2000 एस सी 1398 सुप्रीम कोर्ट

(8)–झारखण्ड उच्च न्यायालय बिनोद कुमार सिंह बनाम श्रीमती सुषमा देवी 5 सितम्बर 2022

(9)– पंकज महाजन बनाम डिम्पल उर्फ काजल 2011 (12) एससीसी 1

(10)–एस लथा कुंजम्मा बनाम अनिल कुमार 2000 (11) केएलजे 49

(11)– रिषिकेश शर्मा बनाम सरोज शर्मा 2007 (2) एस सी सी 263

(12)– एस बी क्रिमिनल रिवीजन संख्या 131/2017 दिनांक 11.04.2018 मदनलाल बनाम पुष्पा देवी व अन्य पेज नं0 1400 राज0 उच्च न्यायालय

(13)– परमवीर सिंह बनाम श्रीमती सुरेश कंवर एस बी कि0 रिवीजन पिटीशन नं0 103022007 निर्णय दिनांक 01.10.2007 राज0 उच्च न्यायालय

(14)– वीर सिंह बनाम पपीता फौजदारी अपील संख्या निर्णय दिनांक 05.16.2024 एडीजे महवा जिला दौसा

(15)–रिंकू बाहेती बनाम संदेश शारदा 22.04.2024 एस0सी0

(16)– चतुर्भुज बनाम सीताबाई 02 सितम्बर 2016–1627/2007 दिनांक 27.11.2007

(17)– हेमलताबेन बनाम स्टेट ऑफ गुजरात एचसी डीवी 21 अक्टुबर 2010

(18) मद्रास उच्च न्यायालय हिन्दू मैरिज एक्ट मनोकरण उर्फ रामामूर्ति बनाम एम देवकी (2003) 1 एमएलजे 752 (मद्रास)निर्णय दिनांक 21.02.2003

(19)–संजय भारद्वाज एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य 27 अगस्त 2010

(20)–ममता जायसवाल बनाम राजेश जायसवाल 2000 (4) एमपीएचटी 457 निर्णय दिनांक 24.03. 2000

(21)– देहली उच्च न्यायालय क्रिमिनल एमसी नं0 3325/2010 कावेरी बनाम नील सागर व अन्य

(22)– पूनम खन्ना बनाम वी0पी0 शर्मा व अन्य 30 जनवरी 2012 देहली क्रिमिनल एम सी नं0 2602/2010 निर्णय दिनांक 30.01.2012

(23)–कि0रिवीजन पिटीशन नं0 344/2011 निर्णय दिनांक 19.04.2012 देहली

(24)–मद्रास उच्च न्यायालय हरिहर राज कालिंगारायर बनाम आरती 22 जून 2018

(25)– देहली उच्च न्यायालय के एन बनाम आर जी निर्णय दिनांक 12.02.2019

(26)– विजयनन्द दत्ताराम नाईक बनाम विश्रान्ति विजयानन्द नाईक निर्णय दिनांक 13.02.2019 बॉम्बे उच्च न्यायालय

(27)–कौशिक बनमा संगीता कौशिक घरामी बॉम्बे उच्च न्यायालय नागपुर डीवी 05 मई 2014

(28)– श्री सांखा शुभ्रा राय चौधरी व अन्य बनाम श्रीमती शर्मिष्ठा बानिक व अन्य त्रिपुरा उच्च न्यायालय निर्णय दिनांक 22 सितम्बर 2021

(29)– अमरदीप जगदीप रावल बनाम स्टेट ऑफ गुजरात 9 जनवरी 2018

(30)– संगीता साहा बनाम अभिजीत साहा 28.01.2019 एस0सी0

(31)– एआईआर 2000 एस सी 952 सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिनांक 02.03.2000

(32)– स्पेशल कि0मिस पिटीशन नं0 18899 पूनम बनाम महेन्दर कुमार निर्णय दिनांक 16.11.2009

(33)– मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अनिल जैन बनाम श्रीमती सुनीता निर्णय दिनांक 29.11.2016

(34)– प्रकाश कुशवाहा बनाम श्रीमती पूजा 2014 (2) जे एल जे 189

(35)–दलीप सिंह बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य सुप्रीम कोर्ट सीपीसी 03.12.2009 (2010) 2 एस सी सी 114

(36)– इन्द्रजीत सिंह ग्रेवाल बनाम पंजाब राज्य व अन्य क्रिमिनल अपील नं0 1635/2011 निर्णय दिनांक 23.08.2011

(37)–प्रेस्टीज लाईटस लिमिटेड में बनाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (2007) 8 एस सी सी 449

(38)– सुनील पोद्दार व अन्य बनाम यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (2008) 2 पेज 326

(39)– केडी शर्मा बनाम स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड व अन्य (2008) 12 एस सी सी 481

(40)– जयश्री व अन्य बनाम भगवान दास एस पटैल व अन्य (2009) 3 एस सी सी 1411

5. अधिवक्ता प्रत्यर्थी/रेस्पोडेन्ट ने अपील मीमो एवं उक्त तर्को का खण्डन करते हुए तर्क दिये कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी का विवाह दिनांक 04.12.1998 को हुआ था और घरेलू हिंसा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवरण दिया जाना विधिक रूप से अपेक्षित नहीं है और मात्र आय ही पर्याप्त होती है। अपीलार्थी एक राजकीय शिक्षक है, जो कि आर्थिक रूप से अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए सक्षम है। दोनों पक्षों के बीच विवाह विच्छेद की डिक्री अंतिम हो चुकी है और दोनों पक्षों की उपस्थिति में ही विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की गई थी। दिनांक 20.05. 2011 को अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी की अनुमति व सहमति के बिना प्रत्यर्थी के निवास स्थान वाले मकान को गलत तरीके से विक्रय कर दिया और इसके कारण प्रत्यर्थी अपने निवास स्थान से वंचित हुई है और यही घरेलू हिंसा कारित करने का आधार बताया गया है। विवाह के पश्चात दिन प्रतिदिन कारित होने वाली हिंसा के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट दिन, समय या तिथि इत्यादि अभिव्यक्त करना अपेक्षित नहीं है और क्योंकि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी की सहमति के बिना मकान बेचा था जो कि प्रत्यर्थी की भी संयुक्त आय से क्रय किया गया था इसलिए अपीलार्थी घरेलू हिंसा का दोषी है। मकान क्रय करने के लिए, लिए गए ऋण में प्रत्यर्थी ने अपने प्रोविडेंट फण्ड के माध्यम से भागीदारी दी थी और जो शपथपत्र अपीलार्थी ने साक्ष्य व आय के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है वह संदिग्ध व विरोधाभासी है। अपीलार्थी की साक्ष्य में वर्णित कथन उनके लिखित जवाब के विपरीत है और अपीलार्थी ने न्यायालय से सुसंगत तथ्यों को छिपाया है। अपीलार्थी ने प्लॉट नम्बर 30 को मात्र ढाई लाख रुपए में विक्रय कर भरण पोषण की राशि अदा करने में व्यवधान उत्पन्न किया है और

क्योंकि प्रदर्श 5 पर प्रत्यर्थी के हस्ताक्षर इत्यादि नहीं है इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त विक्रय में प्रत्यर्थी की सहमति नहीं थी। क्रेता रामदयाल द्वारा दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी गिरफ्तार भी हुआ था और क्योंकि विक्रय दिखावटी है इसलिए सम्पत्ति का कब्जा भी प्रत्यर्थी के पास ही है जिसे रामदयाल को अंतरित नहीं किया गया है। अपीलार्थी ने कभी भी प्रत्यर्थी को अपने साथ रखने का प्रयास नहीं किया है जिससे उसकी कलुषित मानसिकता स्पष्ट प्रकट होती है। भरण पोषण पुत्री के सन्दर्भ में उसके विवाह होने तक प्रदेय होता है और पुत्री की वयस्कता भरण पोषण अदा करने में बाधक नहीं है इसलिए अपीलार्थी का उक्त तर्क संधारण योग्य नहीं रह जाता है। अपीलार्थी विचारण न्यायालय के आदेश की पालना के लिए तैयार व तत्पर नहीं है और प्रकरण को येन केन प्रकारेण लम्बित रखने की रुचि रखता है इसलिए अपील सारहीन होने के आधार पर सव्यय अस्वीकार की जावे। अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित सम्माननीय न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गयेः–

(1)– 2003 (2) ए सी जे 137 एस0सी0 जगदीश जुगतावत बनाम मंजू लता व अन्य

(2)– एस0बी0 कि0 मिस0 (पिटीशन) नं. 1276/2013 श्रीमती सुनीता व अन्य बनाम संतोष शर्मा

(3)– 2025 (1) सी सी सी 299 (पंजाब एण्ड हरियाणा) रश्मि बनाम रोहित

(4)– 2003 कि0लॉ0ज0 2625 (पटना) युगेश्वर नाथ मिश्रा बनाम अर्पणा कुमारी व अन्य

(5)– 2020 एआईआर (एस0सी0) 4355 अभिलाषा बनाम प्रकाश व अन्य

(6)– (2024) 1 सिविल सी सी 765 नईमुल्ला शेख व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य

6. उभय पक्ष की बहस के तर्कों पर मनन करने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु यह उत्पन्न होता है कि – **क्या विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 30.03.2024 विधिक सिद्धान्तों के विपरीत एवं घरेलू हिंसा प्रमाणित नहीं होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है ?**

7. परिवादिया/प्रत्यर्थीया ने परिवाद अंतर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम विचारण न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि परिवादिनी का विवाह दिनांक 04.12.1998 को अप्रार्थी के साथ मण्डावरी तहसील लालसोट जिला दौसा में हिन्दू रिति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था। विवाह के समय परिवादिनी के पिता द्वारा परिवादिनी को काफी सामान दहेज व नगदी उपहार के रूप में दिया गया था। विवाह उपरान्त परिवादिनी व अप्रार्थी दो सन्ताने उत्पन्न हुयी बड़ी सन्तान लडका है जिसका नाम आयुष हे जो वर्तमान में 11 साल का है, दूसरी सन्तान लडकी है जिसका नाम अमीषा है जो वर्तमान में 8 साल की है।

अप्रार्थी सरकारी कर्मचारी है तथा अध्यापक के पद पर कार्यरत है। अप्रार्थी ने शादी के बाद प्रारम्भ से ही दहेज न लाने का आरोप लगाकर परिवादिनी के साथ मारपीट शुरू कर दी और परिवादिनी को शारिरीक, मानसिक रूप से प्रताडित करना शुरू कर दिया। अप्रार्थी सरकारी कर्मचारी है इसलिये दहेज के लालच में दूसरी शादी करने पर उतारू है इसलिये परिवादिनी को शारिरीक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। परिवादिनी एन बी सी में मशीन ऑपरेटर के पद पर शादी के पूर्व से ही कार्यरत है। परिवादिनी ने एच डी एफ सी बैंक अंहिसा सर्किल जयपुर से ऋण प्राप्त करके मण्डल की आवासीय योजना प्रताप नगर, सांगानेर में मकान संख्या 10／53 अप्रार्थी के नाम से क्रय किया था। जिसकी किश्ते परिवादिनी के द्वारा चुकाई गयी थी, परिवादिनी अपने पुत्री के साथ उक्त मकान संख्या 10／53 में निवास कर रही है। अप्रार्थी उक्त मकान को नाजायज प्रकार से हड़प करना चाहता है और परिवादिनी को उवत मकान से नाजायज ढंग से हैरान व परेशान कर बेदखल करना चाहता है। अप्रार्थी ने परिवादिनी को मोटरसाईकिल से गिरा दिया जिसके कारण परिवादिनी के पैर में फैक्चर हो गया तथा उसकी कॉलरबोन में भी फैक्चर हो गया। अप्रार्थी की परिवादिनी के साथ दिन प्रति दिन क्रूरता बढ़ती गई, जिससे परेशान होकर परिवादिनी ने अप्रार्थी के विरुद्ध महिला सलाह सुरक्षा केन्द्र में दिनांक 02.06.2010 को रिपोर्ट दर्ज करवाई, न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश क. ख. एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 13 जयपुर में अप्रार्थी व अन्य के विरुद्ध एक परिवाद अन्तर्गत धारा 498 ए, 406, 323, 341 आई पी सी प्रस्तुत किया। अप्रार्थी की आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ हैं अप्रार्थी राजकीय सेवा में है और राजकीय माध्यमिक विद्यालय डावला बुजुर्ग तहसील फागी जिला जयपुर में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर करीबन 40,000／—रूपये मासिक वेतन पर कार्यरत है इसके अलावा अप्रार्थी के पास लाखो रूपयो की चल व अचल सम्पतियां है। परिवादिया ने धारा 18, 19, 20 व 22 के अधीन अनुतोष चाहा है।

8. अपीलार्थी／अप्रार्थी ने उक्त परिवाद का जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थी का विवाह दिनांक 04.12.1998 को बिना किसी दान दहेज के साधारण तरीके से सम्पन्न हुआ था जो प्रार्थीया को प्रार्थीया के पिता ने स्वरूप स्त्री दिया था वह प्रार्थीया के पास ही है जिसका प्रार्थीया स्वयं उपभोग कर रही है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया या प्रार्थीया के माता पिता से कभी भी किसी प्रकार के दहेज की मांग नहीं की। यह बात परिवादिया द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमा नं. 224／11 पुलिस थाना सदर, जयपुर शहर में जांच अधिकारी द्वारा की गई तफतीश

से भी स्पष्ट है जिसमें बाद तफदीश पुलिस ने अदम वकू झूंठ में एफ.आर. दी है। यह कहना गलत है कि अप्रार्थी ने शादी के बाद परिवादिनी से दहेज की मांग की हो और दहेज ना लाने का आरोप लगाकर परिवादिनी के साथ मारपीट शुरू की हो। प्रार्थी ने परिवादिनी को किसी भी प्रकार से शारारिक और मानसिक रूप से प्रताडित नहीं किया। प्रार्थी को ही परिवादिनी को शारारिक और मानसिक रूप से प्रताडित करती आ रही है। परिवादिनी का स्वभाव शुरू से ही जिद्दी, उग्र, गुस्सेल, किस्म का रहा है। कभी कभार प्रत्यर्थी के माता पिता घर में आते जाते थे तो उनकी सेवा सुश्रुषा करने के बजाय गाली गलौज करती थी। पत्नी के होते हुए भी प्रत्यर्थी को स्वयं ड्यूटी से आने के बाद माता–पिता एवं बच्चों के लिये खाना, चाय नाश्ता बनाना पड़ता था। घर में हमेशा कलह का वातावरण रखती थी। परिवादिनी बार बार सुसाइट नोट लिखकर आत्म हत्या करने की धमकियां देती थी तथा प्रत्यर्थी को फसाने की धमकी देती थी इस बाबत एस.पी. महोदय जयपुर पूर्व के यहां एक प्रार्थना पत्र भी पेश किया था जिसमें दौराने जांच पुलिस थाना सांगानेर ने परिवादिनी को ऐसा दुष्कृत्य नहीं करने की नेक सलाह दी थी और दोनो में समझाईश करवायी गई थी। इस प्रकार परिवादिनी का व्यवहार प्रत्यर्थी के प्रति अत्यधिक क्रूरतापूर्ण हो गया था। परिवादिनी की जिद के चलते प्रत्यर्थी को बैंक से कर्ज लेकर वर्ष 2002 में मकान न. 10 / 53, प्रताप नगर सांगानेर में खरीदना पडा । इसके बाद परिवादिनी ने कार की जिद करने लगी तो प्रत्यर्थी ने एक लाख रूपये डाउन पेंमेट जमा करवाकर परिवादिनी के नाम से ही लेकर दी। जो वर्तमान में उसके पास ही है। मकान लेने के उपरांत भी परिवादिनी प्रत्यर्थी पर मकान को अपने नाम कराने का दबाव बनाती और उसी बाबत लडाई झगडा करती, प्रत्यर्थी को नाना प्रकार की धमकीयां देती। दिनांक 13.05.2010 को भी परिवादिनी ने घर पर गोलिया खाकर आत्म हत्या करने का प्रयास किया परन्तु प्रत्यर्थी ने तुरन्त चिकित्सक को बुलाकर परिवादिनी का उपचार कर उसे बचाया। घर में कई प्रकार से अशांति पैदा करती रहती थी और अपने पति / प्रत्यर्थी को जान से मरवाने की धमकी भी दे चुकी थी, जिससे प्रत्यर्थी पर जान का खतरा उत्पन्न हो चुका था। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी एवं परिवादिनी के आपस में पति पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत करना असम्भव हो गया था इसीलिये प्रत्यर्थी ने दिनाक 30.08.2010 को विवाह विच्छेद बाबत याचिका न्यायालय में प्रस्तुत की जो न्यायालय में लम्बित है। यह कहना गलत है कि परिवादिनी ने ऋण लेकर मकान न. 10 / 53, क्रय किया हो। सही तथ्य तो यह है कि प्रत्यर्थी ने उक्त मकान क्रय किया था और अपने नाम से ही ऋण

लिया था जिसकी किश्तें भी प्रत्यर्थी ही अदा कर रहा था लेकिन प्रत्यर्थी के अत्यधिक कर्ज में दब जाने से कारण एवं परिवादिनी द्वारा कोई आर्थिक मदद नही किये जाने के कारण अन्ततः प्रत्यर्थी को मकान बेचान करना पडा जिस मकान का कब्जा प्रत्यर्थी ने क्रेता को सम्भला दिया था बावजूद उसके भी परिवादिनी उक्त मकान पर अतिक्रमी है। परिवादिनी प्रत्यर्थी को फसाने के लिये जगह जगह झूंठे मुकदमें दर्ज करवाती है उसी के चलते परिवादिनी ने एक झूंठा मुकदमा पुलिस थाना सदर, जयपुर सिटी में दर्ज करवाया। अप्रार्थी ने कभी भी परिवादिनी से दहेज की मांग नही की ना ही नौकरी छोडने का दबाव डाला। बल्कि खुद परिवादिनी ने अप्रार्थी को नौकरी छोडने के लिये विवश कर चुकी है। जहां तक मकान नं. 10 / 53, प्रताप नगर सांगानेर का सवाल है वह तो प्रार्थी बहुत पहले ही रामदयाल चौधरी को बेच चुका है एवं कब्जा भी रामदयाल चौधरी को दे चुका है। लेकिन परिवादिया ने पीछे से उक्त का ताला तोडकर रामदयाल चौधरी का सामान उसमें से चुरा लिया तथा उक्त मकान पर दुबारा कब्जा कर लिया। अप्रार्थी की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। अप्रार्थी का वेतन तकरीबन 20000 / – रूपये है इसी आय में अप्रार्थी को अपने वृद्ध माता पिता का खर्चा भी उठाना होता है अपना मकान किराया 4000 / –रूपये मासिक देना पडता है, बच्चे की पढाई लिखाई एवं चिकित्सकीय व्यय में भी खर्च पडता है इसके अलावा अप्रार्थी के पास किसी प्रकार की चल अचल सम्पत्ति नहीं है केवल एक दुपहिया वाहन ड्यूटी जाने के लिये है जबकि परिवादिनी मकान नं0 10 / 53, प्रताप नगर सांगानेर को नाजायज तरीके से हडप कर उसमें निवास कर रही है। इसी मकान में तीन किरायेदार रखकर उनसे 15000 / –रूपये प्रतिमाह आय वसूल कर रही है। परिवादिनी के पास एक दुपहिया वाहन एवं उक्त अल्टो कार आर0जे0 14 सी0एफ0 9636 है एवं परिवादिनी स्वयं एन.बी.सी. में स्थायी रूप से मशीन ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। जिसका मूल वेतन 18000 / –रूपये है। इसलिए घरेलू हिंसा का तत्व नहीं होने के कारण परिवाद खारिज करने का निवेदन किया।

9. प्रार्थीया की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह ए0ड0 1 श्रीमती माया लखेरा के बयान लेखबद्ध कराये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 लगायत 26 दस्तावेजात प्रदर्शित कराये गये। प्रत्यर्थी की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह एन0ए0ड0 1 कन्हैयालाल, एन0ए0ड0 2 सुमन, एन0ए0ड0 3 किशन एवं एन0ए0ड0 4 बनवारीलाल के बयान लेखबद्ध कराये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी 1 लगायत डी0 11 दस्तावेजात प्रदर्शित कराये गये।

10. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के सन्दर्भ में विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं सम्पूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर प्रकट होता है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अधीन किसी भी प्रकार के अनुतोष को प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम परिवादिया के साथ विपक्षी द्वारा घरेलू नातेदारी में और साझा गृहस्थी के दौरान घरेलू हिंसा कारित किया जाना आवश्यक रूप से प्रमाणित होना चाहिए।

11. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अधीन घरेलू नातेदारी एवं साझा गृहस्थी को निम्न रूपेण परिभाषित किया गया हैः–

साझा गृहस्थी

"shared household" means a household where the person aggrieved lives or at any stage has lived in a domestic relationship either singly or along with the respondent and includes such a house hold whether owned or tenanted either jointly by the aggrieved person and the respondent, or owned or tenanted by either of them in respect of which either the aggrieved person or the respondent or both jointly or singly have any right, title, interest or equity and includes such a household which may belong to the joint family of which the respondent is a member, irrespective of whether the respondent or the aggrieved person has any right, title or interest in the shared household;

घरेलू नातेदारी

domestic relationship" means a relationship between two persons who live or have, at any point of time, lived together in a shared household, when they are related by consanguinity, marriage, or through a relationship in the nature of marriage, adoption or are family members living together as a joint family;

इस उद्देश्य के लिए विचारण न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय के बिन्दु संख्या एक में प्रत्यर्थी/परिवादी के साथ कारित घरेलू हिंसा को प्रमाणित करने के सम्बन्ध में निष्कर्ष दिया है। प्रकरण में दोनों पक्षों का घरेलू नातेदारी में होना तो पति पत्नी के स्वीकारात्मक सम्बन्ध में प्रकट है। परन्तु साझा गृहस्थी में कब से कब तक निवास किया गया यह परिवाद का भाग नहीं है। बिन्दु संख्या एक के निष्कर्ष के अधीन विचारण न्यायालय ने सर्वप्रथम पत्रावली पर लेखबद्ध हुई साक्ष्य का उल्लेख किया है और आदेश की चरण संख्या 12 में यह निष्कर्ष अभिव्यक्त किया है कि प्रत्यर्थी/परिवादी स्वीकृत रूप से अपीलार्थी की विवाहिता पत्नी है और प्रत्यर्थी द्वारा किए गए कथन के अधीन संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट से परिवादिनी के कथनों का समर्थन एवं प्रमाणीकरण होना प्रकट किया है। विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी और अपीलार्थी के परस्पर झगड़ों को भी घरेलू हिंसा का प्रमाण मानकर घरेलू हिंसा को प्रमाणित माना है। इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी/परिवादी की साक्ष्य का यदि अवलोकन किया जाए तो सर्वप्रथम परिवादी ने अपने मूल परिवाद में दिनांक 04.12.1998 को

अपीलार्थी के साथ विवाह होने के कथन किए हैं और विवाह के बाद से ही दहेज न लाने का आरोप लगाकर स्वयं के साथ मारपीट और प्रताड़ना का उल्लेख किया है। परिवादिनी ने अपने परिवाद में मकान संख्या 10 / 53 को हड़पने के उद्देश्य का उल्लेख करते हुए मोटरसाईकिल से गिरने इत्यादि जैसी घटनाओं का उल्लेख किया है और अपीलार्थी की यह मंशा दर्शित की है कि वह उक्त मकान से परिवादिनी को बेदखल करना चाहता है।

12. किसी भी विचारण के दौरान एकत्रित होने वाली साक्ष्य का आधार प्रार्थना पत्र के तथ्य या अभिवचन होते हैं और हस्तगत प्रकरण में परिवादिनी ने प्रारम्भ से ही यह तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं किया है कि दिनांक 06.06.2011 को यह परिवाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही दिनांक 20.05.2011 को मकान संख्या 10 / 53 प्रताप नगर सांगानेर को अपीलार्थी कन्हैयालाल द्वारा रामदयाल को विक्रय किया जा चुका है। विधि का यह सर्वमान्य सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्यायालय से किसी भी प्रकार के अनुतोष की वांछा करने वाले पक्ष को स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होता है और हस्तगत प्रकरण में परिवादिनी द्वारा अपने परिवाद में विक्रय पत्र निष्पादित कर दिए जाने का उल्लेख न करना परिवादिनी का एक ऐसा ही आशय प्रकट करता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने सम्माननीय न्यायिक निर्णय **रामजस फाउण्डेशन व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य सिविल अपील नं0 6662 / 2004 निर्णय दिनांक 09.11.2010** में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है किः–

The principle that a person who does not come to the Court with clean hands is not entitled to be heard on the merits of his grievance and, in any case, such person is not entitled to any relief is applicable not only to the petitions filed under Articles 32, 226 and 136 of the Constitution but also to the cases instituted in others courts and judicial forums. The object underlying the principle is that every Court is not only entitled but is duty bound to protect itself from unscrupulous litigants who do not have any respect for truth and who try to pollute the stream of justice by resorting to falsehood or by making misstatement or by suppressing facts which have bearing on adjudication of the issue(s) arising in the case.

यद्यपि परिवादी ने उक्त विक्रय पत्र पर अपनी सहमति नहीं होना साक्ष्य में वर्णित किया है परन्तु परिवादिनी से ही यह अपेक्षित था कि जब परिवाद प्रस्तुत करते समय उक्त विक्रय पत्र निष्पादित हो चुका था तो यह स्थिति भी परिवाद में वर्णित की जाती और यदि एक बार यह मान भी लिया जाए कि परिवादिनी को उक्त विक्रयपत्र

की जानकारी नहीं थी तो जानकारी होने के बाद भी अभिवचनों एवं परिवाद में इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती थी। विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति स्वयं परिवादिनी ने प्रदर्श 05 के रूप में प्रदर्शित करवाई है इसलिए जानकारी नहीं होने का तथ्य विधिक रूप से पोषणीय प्रतीत नहीं हो रहा है।

13. अब घरेलू हिंसा कारित होने के सम्बन्ध में यदि परिवाद का अध्ययन किया जाए तो सम्पूर्ण परिवाद में विवाह के पश्चात से ही प्रताड़ित किए जाने और घरेलू हिंसा कारित करने के आक्षेप लगाए है परन्तु यह भी आधारभूत रूप से उल्लेखनीय स्थिति है कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी का विवाह वर्ष 1998 में हुआ है और तथाकथित क्रूरता को लेकर परिवादी ने ही प्रथम कार्यवाही वर्ष 2010 में एफआईआर के रूप में अंगीकृत की है। वर्ष 1998 से लेकर 2010 तक 12 वर्ष की अवधि में किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति तथाकथित घरेलू हिंसा या क्रूरता को लेकर प्रकट न करना एक स्वाभाविक आचरण नहीं है, साथ ही यह भी अपेक्षित था कि परिवादिनी द्वारा अपने परिवाद में किस प्रकार की घरेलू हिंसा कारित की गई है यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अधीन धारा 03 में घरेलू हिंसा को व्यापक रूप से स्पष्ट एवं परिभाषित किया गया है जिसके अधीन हिंसा के सम्बन्ध में एक विस्तृत विवरण समाहित है।

3- Definition of domestic violence.—For the purposes of this Act, any act, omission or commission or conduct of the respondent shall constitute domestic violence in case it—
(a) harms or injures or endangers the health, safety, life, limb or well-being, whether mental or physical, of the aggrieved person or tends to do so and includes causing physical abuse, sexual abuse, verbal and emotional abuse and economic abuse; or
(b) harasses, harms, injures or endangers the aggrieved person with a view to coerce her or any other person related to her to meet any unlawful demand for any dowry or other property or valuable security; or
(c) has the effect of threatening the aggrieved person or any person related to her by any conduct mentioned in clause (a) or clause (b); or
(d) otherwise injures or causes harm, whether physical or mental, to the aggrieved person.
Explanation I.—For the purposes of this section,—
(i) "physical abuse" means any act or conduct which is of such a nature as to cause bodily pain, harm, or danger to life, limb, or health or impair the health or development of the aggrieved person and includes assault, criminal intimidation and criminal force;
(ii) "sexual abuse" includes any conduct of a sexual nature that abuses, humiliates, degrades or otherwise violates the dignity of woman;
(iii) "verbal and emotional abuse" includes—

(a) insults, ridicule, humiliation, name calling and insults or ridicule specially with regard to not having a child or a male child; and
(b) repeated threats to cause physical pain to any person in whom the aggrieved person is interested;
(iv) "economic abuse" includes—
(a) deprivation of all or any economic or financial resources to which the aggrieved person is entitled under any law or custom whether payable under an order of a court or otherwise or which the aggrieved person requires out of necessity including, but not limited to, house hold necessities for the aggrieved person and her children, if any, stridhan, property, jointly or separately owned by the aggrieved person, payment of rental related to the shared house hold and maintenance;
(b) disposal of household effects, any alienation of assets whether movable or immovable, valuables, shares, securities, bonds and the like or other property in which the aggrieved person has an interest or is entitled to use by virtue of the domestic relationship or which may be reasonably required by the aggrieved person or her children or her stridhan or any other property jointly or separately held by the aggrieved person; and
(c) prohibition or restriction to continued access to resources or facilities which the aggrieved person is entitled to use or enjoy by virtue of the domestic relationship including access to the shared household.
Explanation II.—For the purpose of determining whether any act, omission, commission or conduct of the respondent constitutes "domestic violence" under this section, the overall facts and circumstances of the case shall be taken into consideration.

14. उपरोक्त वर्णित किसी भी प्रकार के कृत्य को परिवादिनी ने ना तो अपने परिवाद में सम्मिलित किया है और ना ही परिवाद के समर्थन में दिए गए साक्ष्य शपथ पत्र में किसी प्रकार की उपरोक्त वर्णित हिंसात्मक गतिविधि या कृत्य का उल्लेख किया गया है। साक्ष्य के दौरान मोटरसाईकिल से गिरने के सम्बन्ध में जो अभिसाक्ष्य मुख्य परीक्षण में तथा परिवाद में दी गई है उसको प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेजी प्रमाण न्यायालय के समक्ष नहीं है क्योंकि परिवादिनी के अनुसार मोटरसाईकिल से गिरने पर उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ था और कॉलर बोन में भी अस्थिभंग कारित हुआ था। उक्त दोनों प्रकृति की गम्भीर उपहतियों को दृष्टिगत रखते हुए यह स्वाभाविक नहीं है कि परिवादिनी द्वारा कोई चिकित्सकीय उपचार या सहायता प्राप्त न की जाती और उसका कोई दस्तावेजी प्रमाण, विवरण, तिथि, समय इत्यादि का उल्लेख परिवाद या साक्ष्य में ना किया जाता। मौखिक कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य का अभाव किसी भी विचारण के दौरान पर्याप्त रूप से उक्त

कथनों को प्रमाणित नहीं कर सकता है इसलिए परिवाद एवं साक्ष्य के अधीन अपीलार्थी द्वारा घरेलू हिंसा कारित किया जाना प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

15. विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट को घरेलू हिंसा प्रमाणित होने का आधार प्रकट किया है और उक्त रिपोर्ट प्रदर्श 1, 2, 3 के रूप में पत्रावली पर प्रस्तुत की गई है। प्रदर्श 1 संरक्षण अधिकारी द्वारा न्यायालय को प्रेषित अग्रेषण पत्र है जिसके साथ संरक्षण अधिकारी ने डीवीआर (Domestic Violence Report) तथा मूल बयान संलग्न किए है। प्रदर्श 02 प्रत्यर्थी माया के बयान है जिसमें प्रत्यर्थी ने घर का सामान बेचने और मकान नंबर 10/53 को जालसाजी से बेचने के कथन किए हैं और उक्त बयानों पर संरक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर है। प्रदर्श 03 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अधीन एक प्रारूपिक अभिव्यक्ति है जो घरेलू हिंसा कारित होना और उसके तत्वों को प्रकट करती है। उक्त प्रदर्श 03 में प्रारूपिक अभिव्यक्ति में सभी तरह की हिंसाओं को चिन्हित किया गया है परन्तु उक्त प्रदर्श 03 को प्रमाणित करने के लिए संरक्षण अधिकारी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई है। यदि संरक्षण अधिकारी की साक्ष्य के अभाव में भी उक्त प्रदर्श 02, 03 के आधार पर घरेलू हिंसा का प्रकटीकरण माना जाए तो भी उक्त प्रदर्श के समर्थन में प्रत्यर्थी/परिवादी के कोई मौखिक कथन पत्रावली का भाग नहीं है। दस्तावेज मौखिक कथनों का अतिलंघन नहीं कर सकते इसलिए घरेलू हिंसा प्रमाणित नहीं हो रही है।

16. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत सम्माननीय न्यायिक निर्णय संख्या 26 से 30 में माननीय उच्चतम न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय, त्रिपुरा उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय ने समेकित रूप से यह स्पष्ट प्रतिपादित किया है कि यदि किसी प्रकरण में पीडित व्यक्ति के साथ घरेलू हिंसा कारित किया जाना प्रमाणित न हो तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अधीन ऐसा पीडित व्यक्ति किसी भी अनुतोष का अधिकारी नहीं हो सकता और ऐसे अनुतोष में भरण पोषण का अनुतोष भी सम्मिलित है। उपरोक्त वर्णित विवेचन में प्रत्यर्थी/परिवादिया विचारण न्यायालय के समक्ष अपने परिवाद एवं साक्ष्य के आधार पर स्वयं अथवा अपनी पुत्री के साथ किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा कारित किया जाना प्रमाणित करने में सफल नहीं रही है तो ऐसी स्थिति में उसके अनुसरण में पारिणामिक अनुतोष के रूप में न्यायालय द्वारा आदेशित संरक्षण आदेश एवं भरण पोषण का आदेश किया जाना भी न्यायोचित आदेश नहीं माना जा सकता है।

17. अपील के सम्बन्ध में अपीलार्थी का एक अन्य आक्षेप प्रत्यर्थीया/परिवादिया

की पुत्री का वयस्क हो जाने के कारण भरण पोषण का अधिकारी नहीं होना दर्शित किया गया है जिसके लिए न्यायालय का निष्कर्ष है कि सर्वप्रथम तो प्रकरण में प्रत्यर्थीया अथवा उसकी पुत्री के साथ किसी प्रकार की घरेलू हिंसा कारित किया जाना ही प्रमाणित नहीं हुआ है तथा ना ही वह परिवाद में पक्षकार है। प्रत्यर्थीया/परिवादिया द्वारा प्रस्तुत सम्माननीय न्यायिक निर्णयों में माननीय उच्चतम न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों के माध्यम से यह प्रकट करने का प्रयास किया गया है कि कोई भी अविवाहित पुत्री अपने विवाह तक पिता से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी होती है इसलिए हस्तगत प्रकरण में भी पुत्री के वयस्क हो जाने के बाद भी विचारण न्यायालय द्वारा आदेशित भरण पोषण की राशि का अधिकार पुत्री का बना रहता है। इस सन्दर्भ में न्यायालय का अभिमत है कि प्रस्तुत प्रकरण घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अधीन प्रस्तुत किया गया है जिसका मुख्य आधार पीडित व्यक्ति के साथ कारित घरेलू हिंसा है और जो सम्माननीय न्यायिक निर्णय प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये है वे या तो धारा 125 दं0प्र0सं0 पर आधारित है अथवा धारा 20 हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम से सम्बन्धित है। **निःसंदेह भरण पोषण के लिए यह सर्वमान्य विधिक सिद्धान्त है कि एक अविवाहित पुत्री विवाह तक अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में हस्तगत प्रकरण के अधीन सर्वप्रथम भरण पोषण के लिए घरेलू हिंसा प्रमाणित किया जाना आवश्यक था** और पूर्ववर्ती विवेचन में जब पुत्री के सम्बन्ध में न तो कोई घरेलू हिंसात्मक अभिवचन पत्रावली का भाग है और ना ही ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है तो ऐसी स्थिति में इस प्रकरण मे घरेलू हिंसा प्रमाणित नहीं होने के कारण पुत्री भी इस प्रकरण में भरण पोषण की अधिकारिणी नहीं है। प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत सभी सम्माननीय न्यायिक दृष्टान्तों में माननीय उच्चतम न्यायालय का सम्माननीय न्यायिक निर्णय संख्या 1 रैफर किया गया है और उसी सिद्धान्त के अधीन इस न्यायालय का भी यह निष्कर्ष है कि विवाह तक भरण पोषण का अधिकार होने के बावजूद इस प्रकरण में घरेलू हिंसा सिद्धि के अभाव में पुत्री भरण पोषण की अधिकारिणी नहीं है। इसी सिद्धान्त का समर्थन अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत सम्माननीय न्यायिक निर्णय संख्या 1 से 5 में किया गया है।

18. प्रकरण में प्रत्यर्थीया/परिवादिया द्वारा तथाकथित रूप से आक्षेपित घरेलू हिंसा के विरूद्ध एक स्थिति यह भी उत्पन्न हुई है कि परिवादिया द्वारा दर्ज करवायी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में पुलिस अनुसंधान के पश्चात अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत

किया गया था जिसे प्रत्यर्थी ने चुनौती नहीं दी। वहीं इसके विपरीत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विवाह विच्छेद की याचिका में क्रूरता के आधार पर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के विवाह को विच्छेदित किया गया है तो ऐसी स्थिति में उक्त परिस्थितियां एक सहयोगी साक्ष्य के रूप में प्रकरण में प्रकट हुई है जिनसे यह कहना न्यायोचित प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थीया / परिवादया अपने परिवाद एवं साक्ष्य के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष एवं इस न्यायालय में अपील में भी स्वयं एवं अपनी पुत्री के साथ किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा कारित किया जाना प्रकट नहीं कर पायी है। विचारण न्यायालय ने मात्र घरेलू हिंसा रिपोर्ट के आधार पर जो हिंसा के सम्बन्ध में निष्कर्ष दिया है वह घरेलू हिंसा के लिए एक निश्चायक साक्ष्य नहीं है इसलिए समग्र परिस्थितियों के अधीन विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 30.03.2024 यथावत रखे जाने योग्य नहीं है और साक्ष्य एवं अभिवचनों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। तद्नुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।

:: आदेश ::

19. परिणामतः अपीलार्थी / अप्रार्थी कन्हैयालाल लक्षकार पुत्र श्री नवरतनमल लक्षकार द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 30.03.2024 अपास्त किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब प्रेषित की जावे।

(पुरवा चतुर्वेदी)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–11,
जयपुर महानगर प्रथम
मुख्यालय सांगानेर

20. निर्णय अपील आज दिनांक 29.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(पुरवा चतुर्वेदी)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–11,
जयपुर महानगर प्रथम
मुख्यालय सांगानेर